

कार्यालय
राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राथिप/परिषद्/सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिकल सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित विद्यार्थीय लक्ष्मीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, 30-09 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 29-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रारंभ अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 22 निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, 30-09 लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4131-D.O.M.COLLEGE OF PHARMACY

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | संस्था/संस्थान/विद्यालय का नाम द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित वर्ष संख्या | परिषद् द्वारा सत्र 2023- 24 हेतु अनुमोदित वर्ष संख्या |
|---------|---------------------|--|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रारंभिक शिक्षा, अनुक्रम 3 उत्तर प्रदेश सत्र में से सत्र 21/16-3099/0/0002 टीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संस्थाओं की जीव के विरुद्ध भारतीय सरकार में सेंटिकल सत्र 2023/0023 में भारतीय सरकार के अधिनियम के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संवत् अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संशोधन में संस्था संशोधन (पुनः, भवन, लेब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संवत् उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एन 1962 तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, विनियम विनियमवली-2016 तथा संवत्-सत्र पर निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रयोग करेगी/उपरोक्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकांक प्राप्त/उपरोक्त से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-सत्र पर सत्रानुसार प्राप्त किया किये जाने वाले पाठ्यक्रम 2023 ही होंगे, और अनुमोदन कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। और निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु जीव का पूर्णतः पालन किया जायेगा है, जो जीव की संख्या दो सत्र होंगे।
- ✓ संवत् में सुलभ प्रदेश सेंटिकल परिषद् द्वारा अधिनियम लिये ही प्रयोग किया जायेगा।
- ✓ संवत् को संवत्-सत्र पर निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के अनुक्रम निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क सत्र संवत् होगा।
- ✓ संवत् उत्तर प्रदेश सत्रानुसार द्वारा निर्दिष्ट विनियमवली-अधिनियम/संशोधन/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, 2002, सुलभ प्रदेश सेंटिकल परिषद्, 2000 तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, 2000 द्वारा लिये गये निर्णय, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन

करने के लिये सावधानी है।

- ✓ यदि संसद का अधिलेख भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद्/राजकीय अकादमिज और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संसद में समस्त उपसदस्य संसद का होना और प्रारंभिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सभ उपसदस्य होगा। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संसद संसद परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपसदस्य संसद के विरुद्ध यदि कोई तरह का कार्य किया जाता है तो संसद सभ के संसद में न. गणराज्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतरिम निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संसद को कार्यवाही होगी।
- ✓ संसदों को संसद संसद परीक्षा परिषद, उपसदस्य संसद द्वारा संसद सभ के लिए आयोगिक संसद परीक्षा हेतु कार्यवाही संसद होने के पूर्व अधिलेख भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद्/राजकीय अकादमिज और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपसदस्य संसद होगा अंतरिम उपसदस्य संसद की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उपसदस्य संसद द्वारा संसद हेतु समस्त संसद पर निर्णय गरीबता अनुसंधान निर्णयों का अनुमोदन कर संसद कार्यवाही होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट एवं प्रारंभिक शिक्षा के सुसंगत वेबसाइट पर संसद की समस्त सुसंगत वेबसाइट की प्रारंभिक प्रतिक्रिया, संसद, संसद, उपसदस्य, प्रसन्न किया जाने वाला सुसंगत, (संसद संसद अदि का विवरण उपसदस्य संसद होगा।
- ✓ संसद को शिक्षा विभाग हेतु उपसदस्य संसद उपसदस्य करने के साथ प्रारंभिक संसद के संसद में समस्त उपसदस्य संसद सुनिश्चित कराने होगी।
- ✓ संसद सभ सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रारंभिक/संसदित उपसदस्य को संसद करने हेतु निर्णय संबंधित के संसद उपसदस्य करने को अधिलेख, भूमि, भवन, कार्यवाही, उपसदस्य इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य उपसदस्य के संसद में प्रारंभिक किया जाता है और परिषद को इसकी कार्यवाही होगी है कि संसद उपसदस्य का प्रारंभिक किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसद संसद की कार्यवाही संसद किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उपसदस्य प्रारंभिक शिक्षा (संसदित) और उपसदस्य, संसदों का सम्बद्ध किया जाकर (संसदित) 2000 के प्रारंभिक/संसद परिषद की संसद पर अपने कार्यवाही, संसद और कार्यवाही को परिषद को परिषद के संसद के लिए परिषद के अधिलेख में रखेगी।
- ✓ संसद के अधिलेख संबंधित निर्णय के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रारंभिक, उपसदस्य एवं अन्य संसद-संसद (संसदित) परिषद की संसद पर अपने कार्यवाही, संसद और कार्यवाही को परिषद को परिषद के संसद के लिए परिषद के अधिलेख में रखेगी।
- ✓ कार्यवाही सभों का अनुमोदन न किये जाने अथवा सभों का उपसदस्य किये जाने की स्थिति में निर्णय/संसद अनुसंधान/संसद कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृष्ठ सं०- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090602-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रारंभिक-

प्रारंभिक/परिषद D.D.M.COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संशोधन यदि भी हो, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असाफल्य रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विभिन्न अर्थ से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था अथवा उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित बाध्य को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए अयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीठसी/आई/से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आश्रय नियमों का अनुपालन करण आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चित्र भूमि, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी/प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ पैकिंग ठोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये जाने अभिलेख, भूमि, भवन, पार्किंग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के वर्तमान निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, छात्रावास, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीठसी/आई/से/पीठसी/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुं०सं०- प्रारंभिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक D.D.M.COLLEGE OF PHARMACY,BIDKANPUR,GT
ROAD,KAKODHA,GOSPUR,KAUSHAMBI-212201



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद संशोध/सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022

:कार्यालय आपः:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिकल सब 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघर्ष हुई। बैठक में समिति द्वारा सब 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सब 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता पर लक्ष्यय पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पी०सी०आई० के पत्र संदर्भ संख्या 14-441/2022-PCM/Approval Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में लिए गए निर्देशों क्रम में प्रस्तुत संस्थानों से पूर्व में इंगित कमियों के निराकरण का विवरण एस०आई०एफ० पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर संध पत्र दक्षित करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ संध पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस चर्चा के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस०आई०एफ० का सत्यापन करता होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 4131-O.D.M.COLLEGE OF PHARMACY

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | पी०सी०आई० द्वारा सब 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सब 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---|--|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एस०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्गी 1992, विनियमवर्गी-2000, सेमेस्टर विनियमवर्गी-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासकदेशी का अनुपालन करेगी तथा शून्यक निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शून्यक तीन वर्षीय इन्जी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो

सर्वीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु ₹10-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीन छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर वास्तव द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले वास्तविक प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। पीछे निर्दिष्ट शर्तिका द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु पीछे का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो पीछे की शर्तिकाओं को लागू होगी।

- ✓ संसद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संसद को समझ-समझ पर निर्दिष्ट वास्तविक के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवा होगा।
- ✓ संसद उच्च प्रदेश वास्तव द्वारा बनने वाले विविधित/अधिविधित/वास्तविक/निर्दिष्ट एवं निर्देशक, प्रशिक्षक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनने वाले नये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संसदों का 20-अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संसद में समस्त उच्चतराधिकार संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सदा उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रशिक्षक शिक्षा निर्देशक एवं प्रशिक्षक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश वास्तव के विरुद्ध यदि कोई कार्य दाया किया जाता है तथा दाया कर के संसद में या, अपालन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश लक्ष्यक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाहीगत प्रारंभ होने के पूर्व 20-अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उल्लंघन करता होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही) के सम्बन्ध में प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षा प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समझ-समझ पर निर्दिष्ट नवीनतम अर्थगत नियमों का अनुपालन करवा बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पूर्ण भूमि, सार, सार-सारा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रछात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के लक्ष्य में टैराने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित कार्यवाही पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट शर्तिका के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिलेख, भूमि-अन्त, कार्यवाही, उपकरण दस्तावेज का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो लक्ष्यक संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अधिक शर्तीय निर्दिष्ट के दौरान यदि संसद में भूमि, अन्त, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य समझ-समझ 20-अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित/अधिविधित/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त का टी लागू।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/कार्यवाही कार्यवाही की जाएगी।


(एचओआरओ कार)


सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद संशो० सम्बद्धता/2022/10771-11058

15/12/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, D.D.M.COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव